



# मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक: 14.03.2026

थाना को0देहात पर जिम जिहाद व धर्मांतरण के पूर्व में पंजीकृत 02 अभियोगों से सम्बन्धित ₹ 25 हजार का ईनामिया एक सहित 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार —

पूर्व में थाना को0देहात पर धर्मांतरण से सम्बन्धित पंजीकृत दो अलग-अलग अभियोगों में अबतक 08 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में आज दिनांक: 14.03.2026 को थाना को0देहात पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलन व मुखबिर के सूचना के आधार पर धर्मांतरण के अभियोगों से सम्बन्धित ₹ 25 हजार का ईनामिया अभियुक्त 1. असफाक खान उर्फ लकी खाना पुत्र इसरार अहमद निवासी 39वीं पीएससी गेट बरौधा थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर तथा 2. साहिल अहमद पुत्र हिदायत अंसारी निवासी मुखरांव थाना कुछिला जनपद कैमुर, बिहार को गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना को0देहात पुलिस द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. असफाक खान उर्फ लकी खाना पुत्र इसरार अहमद निवासी 39वीं पीएससी गेट बरौधा थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर, उम्र करीब 29 वर्ष (₹ 25 हजार के ईनामिया)।
2. साहिल अहमद पुत्र हिदायत अंसारी निवासी मुखरांव थाना कुछिला जनपद कैमुर, बिहार, उम्र करीब 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-33/2026, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 64(1), 308(5), 352, 351(2) 61(2) बीएनएस, 67(बी) आई.टी. एक्ट व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0, थाना को0देहात जनपद मीरजापुर।
2. मु0अ0सं0-32/2026, धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 64(2) जे, 308(5), 352, 351(2) 61(2) बीएनएस, 67(बी) आई.टी. एक्ट व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0, थाना को0देहात जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम —

निरीक्षक अमित मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक को0देहात मय पुलिस टीम।

